प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
स्व0 विशम्भर वर्मा, प्रा0 आई0टी0आई0,
गुर्वाव, पालीपट्टी, तहसील–टाण्डा, अम्बेडकरनगर
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 195 /टी–3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी,2015

विषयः– भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिर्पोट के आधार पर राजकीय/निजी औ0प्र0 संस्थानों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से संबंधित भारतीय गुणवत्ता परिषद की निरीक्षण रिर्पोट दिनांक 29–04–2014 पर दिनांक 31–07–2014 को महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिर्पोट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:–

क्रम सं0	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।		संस्तुति की गयी		अभ्युक्ति
			भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा की गयी संस्तुति	डी0जी0ई0टी0 द्वारा प्रदान की गई स्थायी मान्यता	
1	2		3	4	5
1	Electrician	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	Assesment-29/4/2014 SIR- 15/07/2014 w.e.f. Aug 2014
2	Fitter	3(1+1+1)	3(1+1+1)	3(1+1+1)	
DGET-6/24/25/2014 -TC DATED 31/07/2014					

विशेष :– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके सस्थान के वाछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)

पत्रांक : /टी–3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/ तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिक्षु) लखनऊ मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित राजकीय/निजी औ0प्र0संस्थानों को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित राजकीय/निजी औ0प्र0संस्थान की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहुल देव)
अपर निदेशक (प्रशि/शिक्षु)